## प्रेस नोट

**सराहनीय कार्य कानपुर देहात** **दिनांक 01.05.2026**

- **थाना देवराहट पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ के साथ 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से कुल 48 किलो470 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (गांजा) कीमत लगभग ₹ 25,00,000/- को किया बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे और अवैध मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 30.04.2026 थाना देवराहट पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/वस्तु की चेंकिग हेतु भ्रमणशील थी तभी जल्लापुर चौराहे से ग्राम प्रेमपुर की तरफ 200 मीटर आगे एक संदिग्ध ट्रक कन्टेनर को देखा, जिसे रूकने का इशारा किया, तो ड्राइवर द्वारा ट्रक को रोक दिया। ट्रक ड्राइवर व एक अन्य व्यक्ति को नीचे आने को कहा दोनो व्यक्ति सकपका गये। संदिग्ध होने पर दोनो व्यक्तियो को बारी-बारी से नीचे उतारा गया। तत्पश्चात दोनो व्यक्तियो से नाम, पता व जामा तलाशी ली गयी। पकड़े गये पहले व्यक्ति ने अपना नाम आले नवी उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र हसमुद्दीन निवासी नीवरी थाना रोरावर जनपद अलीगढ़ व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम तौसीफ पुत्र यासीन उम्र करीब 42 वर्ष निवासी मकान नं0 249 गली नं0 30 जाकिर कालोनी थाना विजयनगर जनपद मेरठ बताया गया। पकड़े गये दोनों व्यक्तियो के ट्रक कन्टेनर HR 38AF8928 से कुल 48 किलो 470 ग्राम अवैध गांजा (कीमत लगभग ₹ 25,00,000/-) बरामद हुआ। अभियुक्तों के कब्जे से बरामदगी के आधार पर पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना देवराहट पर मु0अ0सं0 13/2026 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम 1.आले नवी उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र हसमुद्दीन निवासी नीवरी थाना रोरावर जनपद अलीगढ़, 2. तौसीफ उम्र करीब 42 वर्ष पुत्र यासीन निवासी मकान नं0 249 गली नं0 30 जाकिर कालोनी थाना विजयनगर जनपद मेरठ पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता-**

1.आले नवी उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र हसमुद्दीन निवासी नीवरी थाना रोरावर जनपद अलीगढ़।

2. तौसीफ पुत्र यासीन उम्र करीब 42 वर्ष निवासी मकान नं0 249 गली नं0 30 जाकिर कालोनी थाना विजयनगर जनपद मेरठ।

**पूछताछ अभियुक्तगण-**

पूछताछ में दोनो अभियुक्तों ने बताया कि साहब हम लोग उड़ीसा से सस्ते दामों पर गांजा खरीदकर लाते है, और अपने शहर के आस-पास के लोगो को मंहगें दामों में बेच देते है। उससे जो पैसा मिलता है। उसे हम लोग आपस में बांट लेते है।

**बरामदगी-**

1.48 किलो 470 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (गांजा) कीमत लगभग ₹ 25,00,000/-

2. घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक कन्टेनर HR 38AF8928 सीज।

**गिरफ्तार करने वाली थाना देवराहट पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष श्री सौरभ राणा
2. उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह
3. हे0का0 674 दीपक कुमार
4. हे0का0 145 हरिश्चन्द्र
5. का0 32 भूपेन्द्र सिंह